डीजी परिपत्र सं०-03/26

यक्ष परिपत्र संख्या- 02/2026

राजीव कृष्णा,
आई0पी0एस0

अ0शा0 पत्र संख्या- डीजी-सात-एचसी(यक्ष)/2026

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस भवन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ

दिनांक- जनवरी 17, 2026

प्राथमिकता – 1
Zero Tolerance against crime and criminals

प्रिय महोदया/ महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि **यक्ष ऐप** को दिनांक 27.12.2025 को **माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश** द्वारा **पुलिस मंथन- 2025** के दौरान लॉन्च किया गया है। **यक्ष ऐप** के सफल क्रियान्वयन हेतु मेरे द्वारा यक्ष परिपत्र संख्या- **01/ 2026 दिनांक 09.01.2026** को व यक्ष ऐप के प्रयोगार्थ **SOP/Booklet** को जारी की गयी है।

वर्तमान में **"यक्ष ट्रेनिंग ऐप"** के माध्यम से **प्रशिक्षण व प्रशिक्षण में आने वाली** व्यवहारिक **समस्याओं के समाधान** की कार्यवाही **यक्ष कण्ट्रोल रूम** के माध्यम से प्रचलित है।

मुख्य यक्ष ऐप शीघ्र ही आप लोगों के लिये Active कर दिया जायेगा।

मुख्य ऐप में आप लोगों को Access मिलने के उपरान्त सर्वप्रथम SOP/Booklet में प्रस्तर 9 में वर्णित **"पूर्व से फीड किये गये डाटा के सत्यापन की कार्यवाही"** के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर सत्यापन की कार्यवाही 07 दिवस के अन्दर किया जाना अपेक्षित है-

1. **कर्मी सत्यापन-** थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि **थाने व थाने में पड़ने वाली चौकी पर नियुक्त सभी पुलिस कर्मियों (जिनको PNO आवंटित है)** का नाम, पीएनओ व मोबाइल नम्बर त्रुटिरहित अंकित किया जाये साथ में सह भी सत्यापित किया जाये ***जो भी मोबाइल नम्बर जोड़ा जाये वह उस कर्मी का ही हो***।
2. **गाँव / मोहल्ला का सत्यापन-** आपके द्वारा उपलब्ध करायी **बीट आवंटन** की सूचना ऐप में फीड कर दी गयी है। फीड किये गये बीट आवंटन में गांवो / मोहल्लों के नाम की स्पेलिंग चैक करेंगे, अगर कोई गांव डबल प्रदर्शित हो रहा है तो उसे डिलिट करेंगे और अगर कोई गांव प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो उसे जोड़ेगे। एक बार गांव / मोहल्लों की सूचना ऐप में थाने स्तर से सत्यापन की कार्यवाह पूर्ण होने के उपरान्त इसको ऐप में दर्ज (Submit) कराना होगा। इस कार्यवाही के उपरान्त **बीट फ्रीज हो जायेंगी**। भविष्य में बीट बदलने की कार्यवाही कमिश्नरेट / जनपद प्रभारी के अनुमोदन के उपरान्त ही **यक्ष कण्ट्रोल रूम** के माध्यम से सम्भव हो पायेगी।

3. **पुलिस कर्मियो को बीट आवंटन एवं सत्यापन-** थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बीट पर पुलिस कर्मियों का आवंटन SOP में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया गया है अथवा नहीं। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन बीट कर्मियों को बीट आवंटित की गयी है उनके मोबाइल नम्बर उन्हीं के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा हैं अथवा नहीं।
4. **पुलिस कर्मियों को हल्का/चौकी आवंटन एवं सत्यापन-** थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बीट का हल्का/चौकी से जुड़ाव सही है एवं सम्बन्धित चौकी/हल्का प्रभारी की नियुक्ति उसके चौकी/हल्का में है या नहीं। अगर किसी प्रकार तकनीसी समस्या उत्पन्न होती है तो यक्ष कण्ट्रोल रूम के माध्यम से उसकी निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. **आपराधिक सत्यापन- इस कार्य के लिये अलग से निर्देश (यक्ष परिपत्र संख्या 03/2026) में जारी किये जायेंगे।**
6. **थाना का वर्गीकरण-** थाना थाना प्रभारी व थाने पर इस कार्य हेतु नामित कम्प्यूटर ऑपरेटर / कम्प्यूटर भिज्ञ कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि थाना शहरी / देहात का सही वर्गीकरण किया गया है या नहीं, ताकि थानो के पर्यवेक्षण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।

थाना स्तर पर थाना प्रभारी और इस कार्य हेतु नामित किये गये नोडल कम्प्यूटर ऑपरेटर / कम्प्यूटर भिज्ञ कर्मी की जिम्मेदारी होगी कि उपरोक्त बिन्दुओं पर सत्यापन की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाये।

उपरोक्त वर्णित कार्यों के समापन के पश्चात **सर्वप्रथम गांव/ मोहल्ले की Geo Tagging की कार्यवाही** सम्पादित की जायेगी। गांव/ मोहल्ले की Geo Tagging की प्रक्रिया निम्नवत है-

1. प्रत्येक बीट कर्मियों की बीट में एक या एक से अधिक गांव / मोहल्ला आवंटित होगें।
2. बीट कर्मी का यह दायित्व होगा कि वह उनको आवंटित प्रत्येक गांव / मोहल्ला में **Physically मौके पर पहुँचकर ऐप के** मुख्य पेज पर **मेरे गांव/मोहल्ला** का Option पर Click करेंगे।
3. **मेरे गांव/मोहल्ला** Option पर Click करते ही Next स्क्रीन **गांव/मोहल्ला की जीओ टैगिंग करें** का Option प्रदर्शित होगा।
4. **गांव/मोहल्ला की जीओ टैगिंग** Option पर Click करते ही Next **स्क्रीन पर मैप प्रदर्शित** होगा, जिसमें बीट आरक्षी गांव/मोहल्ला के किसी मुख्य स्थान (जैसे- पंचायत घर, अस्पताल, स्कूल आदि) पर पहुँचकर अपनी लोकेशन पर Click करके सहेजें Option पर Click करते ही गांव/ मोहल्ले की Geo Tagging हो जायेगी।

Note- सभी बीट कर्मियों का यह दायित्व होगा कि गांव / मोहल्ला की Geo Tagging Physically उसी गांव / मोहल्ला में जाकर मुख्य स्थान पर खड़े होकर करेंगे ताकि Accurate अक्षांश व देशांतर ऐप में फीड हो सके और डाटा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सके। अगर किसी बीट कर्मी द्वारा गाँव / मोहल्ला की Geo Tagging में त्रुटि हो जाती है तो सम्बन्धित बीट कर्मी द्वारा अगले 24 घण्टे के अन्दर पुनः Geo Tagging को सुधार करने का विकल्प मिलेगा। इसके बाद गाँव / मोहल्ला की Geo Tagging फ्रीज हो जायेगी।

उक्त प्रक्रिया की कार्यवाही का स्क्रीनशॉट निम्नवत है-

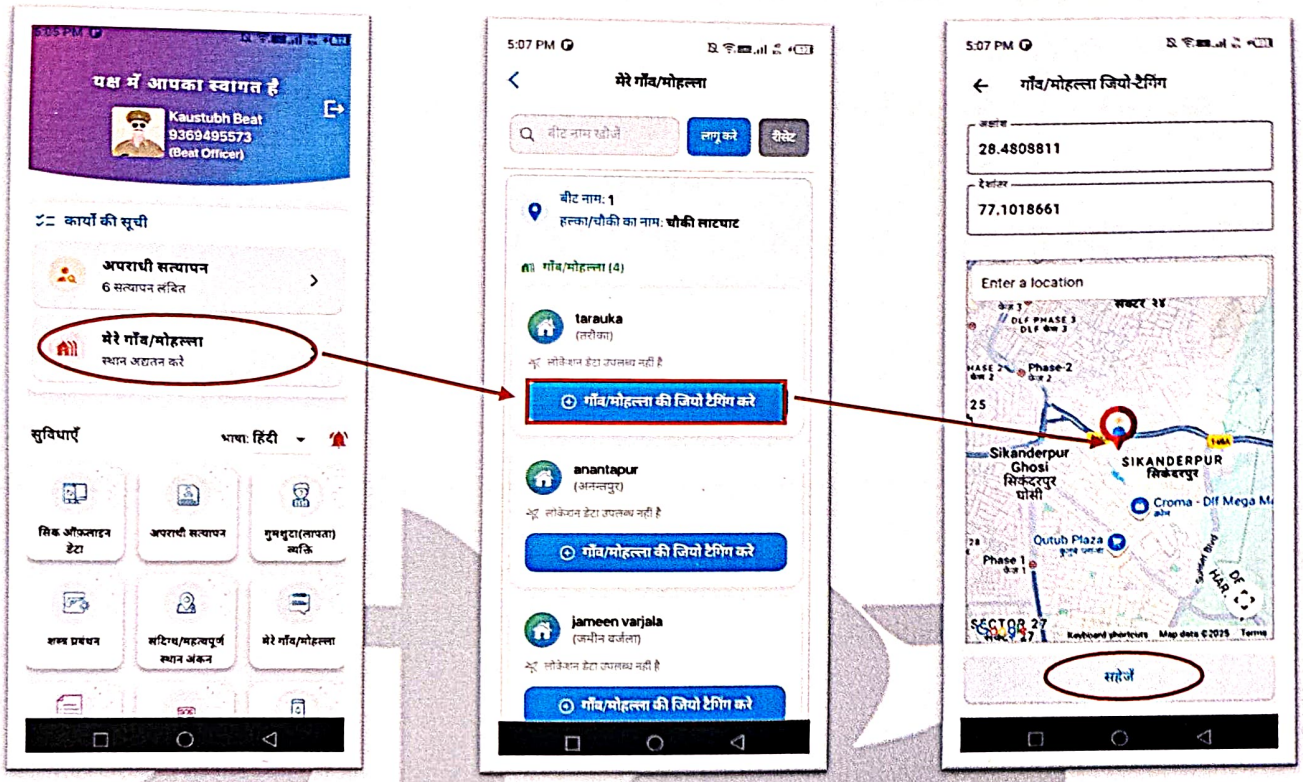

बीट कर्मियों के द्वारा गाँव/मोहल्ला की जीओ टैगिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त, गांव / मोहल्ले में पड़ने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण, संदिग्ध स्थलों एवं सीसीटीवी कैमरो की Geo Tagging की कार्यवाही भी SOP में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार करना सुनिश्चित करेंगे। इससे भविष्य में होने अपराध के अनावरण में मदद मिलेंगी। अतः इस कार्य को गम्भीरता से लेते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

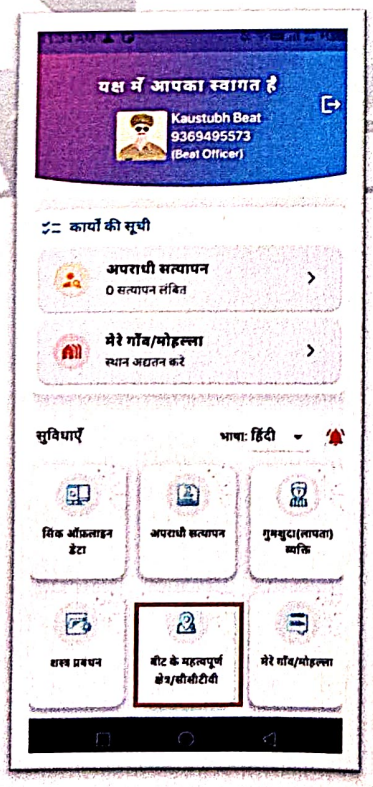

उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त यक्ष ऐप में अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध दिशा निर्देश अलग से प्रेषित किये जायेंगे।

मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके सामूहिक प्रयासों से प्रदेश में यक्ष ऐप का सफल क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा सकेगा।

भवदीय,

17/1.

(राजीव कृष्णा)

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / जनपद प्रभारी उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर पुलिस महानिदेशक एसटीएफ, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

यक्ष
YAKSH